शिलांग, 16 मई, 2005

सा.का.नि. 180.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद्, सचिवालय, शिलांग (आशुलिपिक ग्रेड-II के वर्ग 'ग' पद) भर्ती नियम, 1995, और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग (आशुलिपिक ग्रेड-III पद) भर्ती नियम, 1995 का अधिक्रमण करते हुए, परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थगित बातों को छोड़कर, राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद्, सचिवालय शिलांग में आशुलिपिक ग्रेड-II और आशुलिपिक ग्रेड-III के पदों पर भर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं; नामतः —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, (आशुलिपिक ग्रेड-II और आशुलिपिक ग्रेड-III) वर्ग 'ग' भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम, संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती प्रणाली, आयु सीमा, अर्हता आदि.**—उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

5. **अनर्हता.**— जिसने,—

(क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों; या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो;

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद
1	2	3	4	5
आशुलिपिक ग्रेड-II	20* (2005) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अन्तर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ग', (अराजपत्रित)	रु. 5000-150-8000	गैर-प्रवरण

क्या जोड़े गए सेवा वर्षों के लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 20 के के तहत देय है	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति पाने वालों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति पाने वालों के लिए शैक्षिक अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति पाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

1576 GI/05-2

भर्ती प्रणाली : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	यदि भर्ती, प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा वैसा न हो सकने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** ग्रेड में नियुक्ति के बाद आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित आशुलिपिक ग्रेड-III। **नोट :** जहां अर्हता/पात्रता प्राप्त करने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों की प्रोन्नति पर भी विचार किया जाएगा परन्तु यह और कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता निर्धारित अर्हता/पात्रता सेवा वर्ष से अधिक से अधिक एक वर्ष कम हो। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सांविधिक संगठनों में सदृश पद धारण किए हुए या रु. 4000-100-6000 के वेतनमान के पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी या समकक्ष। (केन्द्र सरकार के उसी संगठन/विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य गैर निसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	जिन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
वर्ग 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे :— 1. निदेशक/उप सचिव, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग —अध्यक्ष 2. सहायक पोस्ट मास्टर जनरल (स्याफ/लेखा) पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय, शिलांग —सदस्य	इन नियमों के उपबंधों को संशोधित/शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक होगा।

Shillong, the 16th March, 2005

G.S.R. 180.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'C' posts of Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 1995 and North Eastern Council Secretariat, Shillong (Stenographer Grade III post), Recruitment Rules, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade II and Stenographer Grade III in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :—

1. **Short Title and Commencement.**—(1) These rules may be called North Eastern Council Secretariat, Shillong, (Stenographer Grade II and Stenographer Grade III), Group 'C' Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto, shall be as specified in Columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be specified or in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules 1972
1	2	3	4	5	6
1. Stenographer Grade II	20* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'C', (Non-Gazetted)	Rs. 5000-150-8000	Non-selection	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruit or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
By Promotion, failing which by deputation	**Promotion :** Stenographer Grade-III with eight year's regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promation, their seniors would also be considered peovided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed. **Deputation :** Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Statutory Organisations holding analogous post or with eight years regular service in post in the scale of Rs. 4000-100-6000 or equivalent. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Director/Deputy Secretary, North Eastern Council/Secretariat —Chairman 2. Assistant Post Master General (Staff/Accounts) Post Master General's Office, Shillong —Member	Not applicable